

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर

क्रमांक: प./प्रति./सूकाअ./18-19/

दिनांक:

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अन्तर्गत पूर्व प्रसारित समसंख्यक आदेशांक 20113-19 दिनांक 14.09.16 को अतिक्रमित करते हुए श्री रामेश्वर सिंह लखावत, वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। श्री लखावत अपने कार्य के साथ-साथ सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पद का कार्य भी वहन करेंगे।

(स्नेहलता पंवार)

निदेशक

दिनांक: 9-5-18

क्रमांक: प./प्रति./सूकाअ./18-19/

7260

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर(राज.)।
2. उप सचिव/उप पंजियक, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
3. श्री आनन्द कुमार शर्मा, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
4. उप विधि परामर्शी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
5. श्री रामेश्वर सिंह लखावत, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, तीनों, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
8. श्री नरेश मटाई, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।
9. प्रभारी, स्टोर कीपर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को नोटिस बोर्ड पर संशोधन हेतु।
10. सामान्य पत्रावली।

(9)

निदेशक

(23)